

15.06 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

NINETY-SECOND REPORT

Shri Sezhiyan (Perambalur): I beg to move:

"That this House agrees with the Ninety-second Report of the Committee on Private Members Bills and Resolutions presented to the House on the 10th August, 1966."

Mr. Speaker: The question is:

"That this House agrees with the Ninety-second Report of the Committee on Private Members Bills and Resolutions presented to the House on the 10th August, 1966."

The motion was adopted.

श्री मधु लिमये (मुंजर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बात दस्तावेजों के बारे में उठाई थी। आप उस पर कब निर्णय देने वाले हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त नहीं बता सकता हूँ।

15.07 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Omission of Article 35A)

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

Mr. Speaker: The question is.

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

Shri D. C. Sharma: I introduce the Bill.

15.07½ hrs.

ALL INDIA AYURVEDIC MEDICAL COUNCIL BILL—contd.

by Shri A. T. Sarma

Mr. Speaker: Now we take up further consideration of the following motion moved by Shri A. T. Sarma on the 28th July, 1966, namely:

"That the Bill to provide for the constitution of an All India Ayurvedic Medical Council for India, maintenance of an Ayurvedic Medical Register for the whole of India and for matters connected therewith, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 1st October, 1966."

The time allotted for the Bill was two hours, of which one hour and forty-three minutes have been spent. Only seventeen minutes remain. Will the Minister reply?

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): I think the time should be extended.

Shri Raghunath Singh (Varanasi): It is a very important Bill.

Mr. Speaker: The House had sanctioned the allotment. I can only extend it by half an hour, if an extension is required.

Shri Raghunath Singh: Yes, it is required.

Mr. Speaker: All right.

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3 dated 12th August, 1966.

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): I came here on the understanding that the present Bill would be over in 17 minutes. Now that the time for that has been extended, perhaps mine may not be taken up today.

Mr. Speaker: That may be taken up There are 2½ hours.

Shri M. C. Chagla: I was told that this would not take very long. I am agreeing to the motion for circulation and I was told that in twenty minutes it would be possible to finish the Bill.

Mr. Speaker: I cannot say that. The time for the present Bill has been extended now by half an hour.

Shri M. C. Chagla: Would it be taken up at 4 O' Clock?

Mr. Speaker: Yes.

Mr. Raghunath Singh.

श्री रघुनाथ सिंह अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस सदन के सम्मुख उपस्थित है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। जहां तक आयुर्वेद का सम्बन्ध है, यह सिस्टम वैदिक काल से हमारे देश में चला आ रहा है। अथर्ववेद की यह एक शाखा है और एक बहुत ही प्राचीन तथा अनुभवसिद्ध चिकित्सा पद्धति है। इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं चाहता हूँ—और सारा सदन इस सम्बन्ध में मेरे साथ होगा—कि इस विधेयक को पब्लिक-ओपीनियन जानने के लिए संकुलित किया जाये।

आयुर्वेद हमारे यहां की एक विद्या और ज्ञान है, जितका प्रचार केवल भारतवर्ष में ही नहीं, बल्कि थाईलैण्ड सीलोन और बर्मा में भी है। जो सज्जन थाईलैण्ड गए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि अरुणवाट नामक स्थान में आयुर्वेद में उल्लिखित सब बीमारियों को एक मूर्ति के रूप में लक्षित किया गया है। यह पद्धति इतनी उत्तम और उपयोगी

है कि केवल हिन्दुस्तान ही नहीं, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के लोगों का भी ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहिए।

आज हमारी यह विद्या मर रही है और इस सरकार के कारण मर रही है, क्योंकि हम इस को प्रश्रय नहीं देते हैं। आज भी हिन्दुस्तान में करीब सत्तर सैकड़ा लोग ऐसे हैं, जिनकी चिकित्सा और उपचार आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार होता है। आज भी दूर देहात में केवल यूनानी या आयुर्वेदिक दवायें ही उपलब्ध हैं और उन्हीं के द्वारा हमारी बहुसंख्यक जनता आरोग्य प्राप्त करती है।

श्री स्यागी (देहरादून) : आयुर्वेद में डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है।

श्री रघुनाथ सिंह : आयुर्वेद को छोड़ कर डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है।

सुशीला बहन ने आयुर्वेद के लिए ब्रास तीर पर बहुत कुछ किया है। हमारे देश की प्राचीन समय की, लाखों वर्ष पूर्व की, सर्जरी को हिन्दू यूनिवर्सिटी में रिवाइव किया गया है। जहां पर आयुर्वेद के सुश्रुत के सिस्टम को, सर्जरी के सिस्टम को, एप्लाइड साइन्स के रूप में पढ़ाने का एक्सपेरिमेंट हो रहा है और वह एक्सपेरिमेंट बहुत सबसेसुलु हो रहा है। स्वास्थ्य मन्त्री स्वयं इस बात में विश्वास करती हैं कि हमारा यह अपूर्व ज्ञान भंडार अनुभव सिद्ध है और इससे लोगों को फायदा होता है।

मैं बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूँ और इस सदन को कहता हूँ कि इस विधेयक के बारे में पार्टी की तरफ से कोई व्हिप नहीं है। इसलिए इस विधेयक को पब्लिक ओपीनियम जानने के लिए संकुलित करना सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये।

Shri D. C. Sharma: I beg to submit very respectfully that our Government have been guilty of two kinds of homicide. One is of the study of Sanskrit. There was a time when Sanskrit was studied everywhere and it was a compulsory subject at the matriculation stage, but now classical languages like Sanskrit, Persian and Arabic have been relegated to the background, and I think we are in a very sad state of affairs. Along with Sanskrit, our Ayurvedic and Unani systems of medicine have suffered utter neglect, I should say, criminal neglect and they have suffered because we talk in terms of modern medicine.

What is this modern medicine? I may tell you that this modern medicine is a big hoax. George Bernard Shaw used to say that modern medicine was a kind of quackery which was being perpetrated at the expense of the public, and the sooner we try to do away with it, the better it would be.

This modern medicine of which we talk so much has not been able to give us remedies for certain diseases. For example, my hon. friend had referred to diabetes. There are also other diseases for which modern medicine has no remedy. There is a Member of the Rajya Sabha who once had a heart attack and who was admitted to a hospital somewhere; I do not want to mention the name of the hospital. Pandit Jawaharlal Nehru went to him and he said, 'For God's sake, pull me out of this nursing home and hospital'. Pandit Jawaharlal Nehru said, 'I shall pull you out of this hospital provided you promise me that you will have a nurse to look after you at your place'. He said, 'I shall do that', and as soon as he reached home, he drove out the nurse and said 'what is your remedy for heart trouble? Today you say one thing, and the next day you say another thing, and on the third day you say something which goes against the two things that you have already

said'. Therefore, this modern medicine is no medicine! We are legalising it. We are sanctifying it we are trying to subsidise it and we are trying to raise it to the status of something divine, something occult and something supernatural. I tell you it is no medicine at all. Modern medicine may be good in some ways but Ayurveda is there and the Unani system is there. I would like to ask whether the modern system of medicine has got any remedy for stomach diseases. I say that it has not got any remedy for those diseases. Whenever anybody has any stomach disease, he goes to an Ayurvedic practitioner. My hon. friend the Home Minister had some trouble once and he went to Kerala to have his trouble cured, and he was there under the treatment of a Shuddha Ayurveda practitioner for forty days or something like that.

Therefore, I submit that to think that modern medicine has all the knowledge, all the skill and all the healing properties is to say something which is outrageous. I must say that our Ministers of Health at the Centre and in the States are trying to say these things which are against commonsense.

Recently in New York, the practitioners of modern medicine held an exhibition exhibiting X-ray, this ray and that ray. The quacks in the USA also held a similar exhibition. While the practitioners of the modern medicine were having X-ray and other rays, the quacks brought in Z-ray and so on. I may tell you that the exhibition held by the quacks was much more successful than the exhibition held by the so-called practitioners of modern medicine. Our Government appear to have a closed mind on this subject. I know what these doctors are and what they think of the Ministry of Health and the Department dealing with health services.

Therefore, I would submit that we should give due place to our own systems of medicine in this country such as the Ayurvedic and Unani sys-

tems. Pandit Jawaharlal Nehru went all his way to Colombo to open the Ayurvedic Research Centre. As my hon. friend has said, in South-East Asia, there are so many Ayurvedic centres. China which is making so much progress—really, she may not be making any progress at all—is concentrating on what may be called her own systems of medicine. Therefore. I say that you should not kill your indigenous systems, you should not kill your own systems, in order to bring in a system from this place or that place.

This Bill is a very good Bill, and I hope the Minister of Health will accept it and will do something for Ayurveda. If she does not do anything, then posterity will judge her, posterity will judge us, and posterity will judge India and will say that here are these people who in the interests of some Western system did not care for their own indigenous system, and, therefore, they will hold us guilty before the bar of public opinion.

श्री चन्द्रमंगलाल चौबरी (महुआ) : मोहतरिम सदर साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस बिल के बारे में अपनी राय जाहिर करने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ पांच मिनट का वक्त है। इसलिए आप उसको मशकूरी में ही न गुजार दीजिए।

श्री चन्द्रमंगलाल चौबरी : मैं इस बिल की तारीफ करता हूँ। बहुत दिनों से भारत के हर एक कोने से यह आवाज आ रही है कि आयुर्वेद को भी कुछ प्रोत्साहन और तरजीह दी जाये। जहाँ तक मेडिकल साइंस का ताल्लुक है, मैं उसकी मुञ्जालफित नहीं करता हूँ। हिन्दुस्तान में वैदिक काल से आयुर्वेद की प्रणाली चली आ रही है। हिन्दुस्तान के बहुत से गोश्रों में जहाँ मेडिकल साइंस का कोई हास्पिटल नहीं है, चिकित्सा का और

कोई प्रबन्ध नहीं है, वहाँ पर ये यूनानी दवाखाने और ये वैद्य ही गांव गांव में लोगों की चिकित्सा करते हैं। उससे हमारे प्रजातन्त्र की भी हिफाजत होती है। साथ ही साथ उन धर्म समाजों और संस्कृत कालेजों की भी हिफाजत होती है जो आचार्य होकर या वेदों के जानकार होकर भी बेकार बैठे होते हैं। कोई वजह नहीं है कि एक बायलाजी पढ़ने वाला, साइंस पढ़ने वाला जितना तेज होता है संस्कृत का विद्वान उतना तेज नहीं हो सकता। वह उससे ज्यादा तेज हो सकता है। जो आचार्य होता है, जो आसमान और पृथ्वी को शोध लेता है, जो इन्सान की नब्ब देख कर बताता है कि क्या बीमारी है। डाक्टरों की मैं कोई मुञ्जालफित नहीं करता। लेकिन जब तक वह थर्मामीटर या आला नहीं लगायेंगे तब तक वह यह बताने में मजबूर होते हैं कि दायें लंग में या बायें लंग में बीमारी है। इसलिए मेरी दरखास्त है कि जो यह बिल है इसको पब्लिक ओपीनियन के लिए भेज दें। अगर भारतवर्ष के हिन्दू और मुसलमान चाहेंगे कि भारतवर्ष में यूनानी दवाखाने या आयुर्वेदिक औषधालयों की जरूरत है, तो पब्लिक उसका फैसला कर लेगी। उस से सरकार का भी हाथ मजबूत होगा और पब्लिक भी खुश होगी। अभी तक जो अरबी और फारसी के पढ़ने वाले लोग हैं, और मैं तो समझता हूँ कि आप अरबी और फारसी के निहायत दा निशमंद हैं, इसलिए मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ :

बेइल्म नातमा खुदार सनाख्त।

जो इल्मियत को नहीं जानता वह ईश्वर और खुदा को भी नहीं पहचान सकता। इसलिए मौजू वक्त पर मैं दरखास्त करता हूँ और सुशीला बहन से भी जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन से भी दरखास्त करता हूँ कि इन वैद्यों के लिए आप आज ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर वैद्यकी कालेज खोलने का प्रयास करें और गांव गांव में औषधालय खोलने का

[श्री चन्द्रमणिलाल चौधरी]

प्रयास करें। हमारे यहां जालान मुजफ्फरपुर में एक औषधालय है जहां हजारों गरीब लोग आते हैं, उनको मुफ्त दवायें मिलती हैं, हर बीमारी का इलाज होता है और हजारों लोग अच्छे होते हैं। ऐसे भी केसेज मैंने देखे हैं जो हास्पिटल से भगा दिये जाते हैं और वहां उस औषधालय में जाकर बिलकुल नीरोग हो जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दरख्वास्त करता हूं कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिए भेज दिया जाय और मैं मेडिकल साइंस की मुखालफत नहीं करता हूं।

श्री अ० सि० सैगल (जंजगीर) : अध्यक्ष महोदय, जो बिल हमारे मित्त लाये हैं, वह खुद आयुर्वेद के बहुत अच्छी तरह से जानकार हैं और उन्होंने आयुर्वेद का बहुत इस्तेमाल किया है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों हम इस बिल की मुखालफत करें? हमें यह चीज मालूम है कि हमारे देश में एलोपैथिक मेडिसिन्स जो हैं वह ज्यादा खर्च में हमें डाल देती हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं यह कहूंगा कि जो आयुर्वेद के लोग हैं, या चाहे होम्योपैथिक के हैं, या यूनानी के हैं, इनके रजिस्टर्स अलग मेन्टेन किये जायें और रजिस्टर्स अलग मेन्टेन करके इनको भी वही अधिकार दिये जायें जो आप एलोपैथिक के लिए देते हैं। रह गई बात जहां तक साइंस के जरिये से इन चीजों की देख रेख करनी है, मैं समझता हूं कि लोग साइंस को इसमें ला रहे हैं। आपकी हिन्दू यूनिवर्सिटी में जो आयुर्वेदिक कालेज है उसमें वह लोग साइंस को भी लाकर के साइंस के जरिये से भी इस चीज को देख रहे हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन, कौन कौन सी वह बूटी है कि जो हमारे काम में आ सकती है। उसका भी वहां पर स्पष्टीकरण करके जनन के सामने उसका लाते हैं। चोरफाड़ के लिए भी आयुर्वेद ने आजकल उसको अनजाने का एक नया रास्ता निकाला है जिसको कि वह मानते हैं कि हमें इस को

मंजूर करना चाहिए। बहुत वर्ष मैंने पहले इसके लिए यहां अर्ज किया था कि जो लाइसेन्स आफ मेडिसिन्स के लोग हैं इनकी भी चीजों को और इनके कोर्स को भी यदि हम रख सकते हैं और इनकी भी एक डिग्री को ले सकते हैं तो वह करना चाहिए और उस चीज को इन लोगों ने स्वीकार किया है और खास कर मध्य प्रदेश की सरकार ने इसके लिये लाइसेन्स आफ मेडिसिन्स के जो लोग थे उनको वहां ट्रेड करना शुरू किया है। आयुर्वेद के लिए भी बहुत से प्रान्त हैं कि जहां पर आयुर्वेद की दवाओं का अच्छी तरह से प्रचार किया जाता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मेरा आयुर्वेद में विश्वास है। लेकिन उसके साथ साथ मेरा विश्वास यह कहता है कि यदि हम सस्ती दवायें दे सकते हैं, अपने मरीजों तक पहुंचा सकते हैं तो वह आयुर्वेद के जरिये से ही पहुंचाना चाहिए। एलोपैथिक के जो हमारे आदमी हैं, वह नहीं पहुंचा सकते। मैं एलोपैथी को खराब नहीं कहता। आजकल के साइंस के जमाने में एलोपैथी अच्छी चीज है। लेकिन हमारे पास उसके डाक्टर्स नहीं हैं। हमारे जो डाक्टर्स होते हैं, वह देहताओं में जाना पसन्द नहीं करते। मेरी बहन भी इसको नहीं नहीं कर सकती। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि इस चीज को भी हमें प्रमाणित करना चाहिए और इसका जितना प्रचार हम कर सकते हैं, करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल को यह कहूंगा कि जनता की राय जानने के लिए भेज दिया जाय। उससे हमारा और हमारे देश का हित होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस का समर्थन करता हूं।

श्री रणजय सिंह (मुसाफिरखाना) : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री शर्मा जी ने यहां पर यह विधेयक उपस्थित करके दश के लिए बहुत कल्याण की बात की है। इस में कोई सन्देह नहीं कि हम जब तक पूरा

नहीं करेंगे कि हमारे देश के लिए कौन सी चिकित्सा प्रणाली अधिक हितकारी है, तब तक हम देश को अधिक लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं। आयुर्वेद के सम्बन्ध में कोई नयी बात नहीं है। किन्तु बीच में कुछ हवा ऐसी चली पाश्चात्य शिक्षा के कारण से कि लोगों का विश्वास अपनी बातों से कुछ हट गया और वे चले विदेशों की ओर। उन्होंने समझा कि वह लोग बड़े ज्ञानी हैं, बड़े समझदार हैं। एक सज्जन गए जर्मनी आख की दवा कराने के लिए। वहां के डाक्टर ने बतलाया कि आप यहां क्यों आये हैं? हम लोग तो आपके ही आयुर्वेद से सीखकर उसमें बहुत कुछ सुधार करते रहते हैं, उसी का अन्वेषण करते हैं, उसी से सभी बातें करते हैं। आयुर्वेद के भ्रमन्ध में जहां भी विचार किया जायगा उसमें पता चलेगा कि उसके अन्दर ठोस काम है। सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी दवायें हमारे यहां बनी हुई हैं। हीरक भस्म, मोती भस्म इत्यादि जिससे कि बड़े बड़े तमाम रोग दूर हो जाते हैं। और इसी प्रकार से जड़ी बूटियां हैं जिनके लिए एक पैसा भी व्यय करने की आवश्यकता नहीं है, मुफ्त में मिल जाती हैं, उनकी जानकारी की आवश्यकता होती है। हमारे यहां कई जड़ी बूटियां हैं, ऐसी ऐसी बूटियां हैं कि जिससे ब्लड प्रेशर को बहुत लाभ होता है और सांप काटने पर दी गई हैं वह बूटियां। मैं तो नहीं समझता कि एक भी आदमी मरा हो। मैं यह नहीं कहता कि कोई नहीं मरेगा लेकिन अभी जहां तक अनुभव किया गया केवल एक जड़ी की बात है, उससे इतना लाभ होता है कि लोग अच्छे हो जाते हैं। इसी प्रकार से यह सन्देह करना कि हमारे यहां फलां रोग जो है उसकी दवा नहीं है, ठीक नहीं है। डायबिटीज क्या है? उसके लिए मधुमालती आदि दवायें हैं और यही नहीं और अनेक दवायें हैं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आयुर्वेद का पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त करें, तब हम समझेंगे कि आयुर्वेद में क्या क्या है, किस तरह से है। उसके

अनुसार काम करेंगे तब हमारे यहां देश में बहुत से रोग निर्मूल हो जायेंगे।

हमारे यहां शूद्ध दूध और घी की आवश्यकता है। गोपालन की आवश्यकता है। गोमाता की रक्षा करके, उनकी सेवा करके ही घी और दूध का अच्छा प्रबन्ध कर सकते हैं। शूद्ध वस्तुयें जब देते हैं तो उन्हीं के सेवन से कितने रोग दूर हो जाते हैं? गोमूत्र से भी कितना लाभ है? कितने रोग उसी से दूर हो जाते हैं। उसके गोबर से कितना लाभ है? दूध और और चीजें तो बहुत ही गणकारी हैं इसमें कोई शक ही नहीं है।

इस प्रकार से आयुर्वेद हमें बहुत ज्ञान देता है, हमें भलीभांति बतलाता है, यह अधिक से अधिक देश के लिए लाभदायक है। अगर हम यह सोचें कि हम केवल पश्चिमी हवा में बहते रहें, अपने को न पहचानें तो मैं समझता हूं कि देश पूरी उन्नति नहीं कर सकता है। इसके लिए आवश्यकता है कि हम पूरा अन्वेषण करके, पूरी खोज करके इसमें ऐसा कार्य करें कि जिससे आयुर्वेद जो है इसके द्वारा लोगों का बहुत कल्याण हो। जब हम अपने देश की वस्तुएं अपनायेंगे तो उससे बहुत लाभ होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है। मैं इन शब्दों के साथ श्रीमान जी, इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री कमल नयन बजाज (वर्धा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि शर्मा जी ने यह बिल सदन के सामने रखा है। जो बीमार होता है उसको तो इस बात की जरूरत होती है कि वह किसी तरह ठीक हो। उसे इसकी परवाह नहीं कि दवाई कौन देता है और किस तरह की दवाई है। एलोपैथिक डाक्टर हो, वैद्य हो या होमियोपैथिक डाक्टर हो, लेकिन बीमार की सबसे बड़ी जरूरत यह होती है कि वह किसी तरह से अपनी बीमारी को ठीक करले।

[श्री कमल नयन बजाज]

मैं एक बार का किस्सा आपको बताऊँ, अष्टयक्ष जी, हमारे उस तरफ बाढ़ आ गई थी और उसके अन्दर कुछ गांव इस तरह से घिर गये थे कि जिससे आवागमन का रास्ता टूट गया था। यह स्वतन्त्रता के पहले की बात है और उस समय वहाँ उस देहात में एक छोटा सा रचनात्मक कार्यकर्ता थोड़ी बहुत वैदगी दिनों जानने वाला वहाँ पर था। दो-चार दिनों के बाद जब बाढ़ का कुछ ज्यादा असर वहाँ पर पड़ा, तो कोलेरा वहाँ बहुत तेजी से फैला दो सौ-तीन सौ की उस बस्ती में सौ सवासौ आदमी बीमार हो गये। इस वंश ने जब कि कोई और इलाज और दवाई वहाँ पर नहीं थी और कोई दूसरा उपाय भी नहीं हो सकता था, उसने अपनी बुद्धि से यह सोचा कि कोलेरा की बीमारी में ठण्डी हो जाती है, सारा सिस्टम ठण्डा पड़ जाता है, उल्टियाँ होती हैं, उस सिस्टम में गर्मी लाने के लिए तथा खराबी को बाहर फेंकने के लिये और ज्यादा उल्टी कराई जावे। उसने गांव भर में जितनी मिर्ची थी, सबको इकट्ठा करके गरम पानी में उबाल कर सब मरीजों को मिर्ची का गरम पानी पिलाया। इससे उल्टियाँ हुईं और मैं समझता हूँ कि एक-दो केस गजरे होंगे, बाकी सब को वह बचा सका।

मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि एलोपैथिक दवाइयाँ अच्छी नहीं हैं, यह बात नहीं है, बल्कि आयुर्वेद में विज्ञान की तरह से उसका कोई विकास नहीं किया गया। एलोपैथिक से हमें जो भी लाभ मिलता है उसे हमको जरूर लेना है, विदेशों से हमें जो भी ज्ञान मिलता है, उससे लाभ होता है, लेकिन चूंकि वह विदेशी है, इसलिए उसका तिरस्कार नहीं है, लेकिन साथ ही हमें यह 15-32 hrs.

[SHRI SHYAM LAL SARRAF in the Chair.]

श्री ध्यान में रखना है यह ज्ञान और विज्ञान जो विदेशों से आता है, उसका देहातों तक, गरीबों तक पहुंचने का जरिया अभी तक

हमारे पास नहीं है। जो लोग डाक्टरों सीख जाते हैं अगर उनको गरीबों की झोपड़ी में जाना पड़े, इलाज करना पड़े, तो सबसे पहले तो वह कम से कम 5 ह० से कम फीस नहीं लेते, गरीब आदमी इतना लायेगा कहां से, फिर अगर फीस का भी इन्तजाम हो, तो वह गरीब आदमी उनको अपने घर में लेजाकर बैठा नहीं सकता, उनके लिए कुर्सी कहां से आये। यह सारी दिक्कतें हैं, जो आप समझें। मनोवैज्ञानिक बातें हैं और इसी कारण गरीब लोग आज डाक्टर को घर में बुलाने में डरते हैं, क्योंकि हम उनकी खातिर कैसे करेंगे, हमारे घर में डाक्टर आयेगा क्यों? यह मनोदशा आज मैंने गरीबों के अन्दर देखी है।

गांधी जी कहते थे और उन्होंने कोशिश भी की कि जड़ी-बूटियों की जानकारी हमारे देहात के वंशों को शास्त्रीय ढंग से और अच्छी तरह कराकर गरीबों तक उनकी मारफत दवायें पहुंचाई जायें। जो सर्जरी या पैथोलॉजिकल एक्जामिनेशन है, उसमें अगर हम आयुर्वेद में पिछड़े हुए हैं, क्योंकि पिछले सैंकड़ों वर्षों से हमने कोई संशोधन नहीं किया और उसकी अपेक्षा एलोपैथी में होता रहा है, तो हम एलोपैथी का लाभ न लें, यह सवाल नहीं है। वह सारी जानकारी, जो हमारे आयुर्वेद में है, या यूनानी में है, या होमियोपैथी में है, उन सब का मेल करके उनमें जो खास खास बातें हैं, उनको गांधीं तक पहुंचायें तो उससे अधिक लाभ होगा।

आज ऐसी दशा है कि जो अस्पताल गांवों में खोले जाते हैं, उनके अगर मकान बन गये हैं, तो डाक्टर नहीं है, कहीं पर डाक्टर पहुंच गया है तो दवाइयाँ नहीं पहुंची, दवाइयाँ पहुंचती हैं तो डाक्टर नहीं पहुंच पाता। परन्तु आयुर्वेद का जो वंश होता है, उसकी जो दवाइयाँ होती हैं, वह खुद अपने आप बना लेता है, उसकी सारी चीजें धरेलू होती हैं, और इस तरह से उसका इलाज चल जाता

है। ऐसे बहुत से उदाहरण में आपके सामने पेश कर सकता हूँ जहाँ डाक्टर गांव में पहुंच गया है, परन्तु दवाइयां नहीं पहुंची, वह कोई इलाज नहीं कर सका। अगर दवाइयां पहुंच गई तो कहते हैं कि सुई देने की मशीन नहीं पहुंची, मैं क्या करूँ। एलोपैथी में डाक्टर अपने साधनों पर निर्भर हो जाता है, उनकी सहायता के बिना वह काम नहीं कर सकता, जबकि आयुर्वेद में वह निर्भर नहीं रहता है। यह एक बहुत बड़ी चीज है जो हमको ध्यान में रखनी चाहिये। एलोपैथिक ऐसे देशों के लिये जो भौतिकता के हिसाब से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनके लिये बहुत उपयुक्त है, लेकिन हमारे गरीब देश के अन्दर जहाँ लोगों को पूरा खाना नहीं मिलता, वे दवाइयों के लिये कहां से लायें। इस बात को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद का प्रचार होना चाहिये। उसके अन्दर जिन चीजों की कमी है, उसको दुरुस्त किया जावे, एलोपैथिक और दूसरे शास्त्रों का कुछ ज्ञान और विज्ञान उसको पूरा करने के लिये दिया जाये, तो इसमें मैं कोई नुकसान नहीं समझता, बल्कि इससे लाभ होगा। मैं किसी खास पद्धति के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बीमार की आर्थिक, सामाजिक और परम्परागत जो अवस्था है उसको देखते हुए आयुर्वेद का प्रचार होना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से बीमारियों को दूर करने और देहात की जनता को सस्ती और सुलभ दवायें पहुंचाने में सहायता मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : चैयरमैन महोदय, मुझे खुशी है कि इस विधेयक पर इतनी चर्चा हो गई। मुझे खुशी इसलिये है कि इससे जो हमने निश्चय किया है कि इस आयुर्वेद पद्धति के शिक्षण को स्टैंडर्डाइज्ड करके ठीक ढंग से चलाना चाहिये, उस में सदन का समुचा समर्थन इस चर्चा में हमको मिला है।

श्रीमन्, मैं बहुत नम्रता से यह कहना चाहती हूँ कि आयुर्वेद की शिक्षा के बारे में कुछ नहीं हुआ, यह विचार जो किसी के मन में हो, तो वह थोड़ा दुरुस्त करने की आवश्यकता है। सब से पहली बात तो यह है कि इस शिक्षण को सुधारने का प्रयोग समय समय पर होता रहा है। स्वतन्त्रता के थोड़े दिनों के बाद आयुर्वेद कालिजों में ऐसी शिक्षा प्रणाली चलाई गई जिसमें आधुनिक साइंस भी मिश्रित हो ऐसे आयुर्वेद को सिखाया गया। इस तरह से लड़कों को तैयार किया गया और बहुत से सीख कर निकले। जो हमारे पुराने वैद्य थे और जो हमारे भी आयुर्वेद के प्रेमी थे, उनके मन में यह भावना रही कि जो लड़के तैयार होते हैं, ये तो अपने आप को डाक्टर कहलाते हैं, दवायें भी पश्चिमी यानी एलोपैथिक की ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये तो घटिया किस्म के डाक्टर बन गये, ये ठीक वैद्य नहीं बने। उनकी इस धारणा को . . .

श्री म० ला० द्विवेदी (मीरपुर) घटिया किस्म के डाक्टर होते हैं, उनके बारे में किसी किस्म की शिकायत नहीं है, लेकिन घटिया किस्म के वैद्यों के बारे में शिकायत है।

डा० सुशीला नायर : वे न पूरे डाक्टर बने, न पूरे वैद्य बने, इम चीज की शिकायत लोगों ने की।

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी (सागर) डाक्टरों ने शिकायत की कि ये ज्यादा पोपुलर हो रहे हैं।

डा० सुशीला नायर : जी नहीं। उस वक्त श्री नन्दा जी ने, आपको याद होगा, उस वक्त वह प्लानिंग कमिशन के डिप्टी चैयरमैन थे, एक पैनल बुलाया। क्योंकि तीसरा प्लान शुरू था। उसे एक ही साल हुआ था। उस पैनल में बहुत चर्चा के बाद यह तय हुआ कि शिक्षा आयुर्वेद में शुद्ध आयुर्वेद की होनी चाहिये और कुछ

[डा० सुशीला नायर]

उसकी डिटेल्ज वगैरह भी तय हुई। इस के बाद जो सैन्ट्रल कौन्सिल आफ़ हैल्थ है, जिसमें सारे हैल्थ मिनिस्टर्ज़ और उनके एडवाइजर्स शामिल हैं, वह मद्रास में 1963 में मिली और जो इस पैन्ल के सुझाव थे, उसको इस ने स्वीकार किया। उसके साथ ही साथ इस सुझाव को कार्यान्वित कैसे करवाया जाये इसकी चर्चा हुई। इस के लिये एक बोर्ड की स्थापना की गई, गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री श्री मोहन लाल व्यास, जो बहुत भक्त हैं आयुर्वेद के, उसके अध्यक्ष नियुक्त किये गये और सारे राज्यों के प्रतिनिधि उसमें लिये गये। उन्होंने जो पाठ्यक्रम बनाया वह सब राज्यों को भेजा गया। उस पाठ्यक्रम को कुछ ने स्वीकार किया और कुछ ने स्वीकार नहीं किया। अब पोजीशन यह हो गई कि कहीं पर पुराना तरीका रहा, कहीं नया तरीका। और कोई स्टैन्डर्डाइजेशन शिक्षा का नहीं हो पा रहा है। इसलिये सरकार ने यह तय किया कि जब तक कोई स्टेटुटरी कौंसिल नहीं होगी तब तक इसमें एकरूपता आने की सम्भावना नहीं है। इसलिये पिछली सेंट्रल हैल्थ कौंसिल की मीटिंग में, जो कि जून के महिने में बंगलौर में हुई थी, यह तय हुआ कि एक कौंसिल बनाई जाये और वह कौंसिल सारे शिक्षाएण क्रम को एक व्यवस्थित पद्धति के रूप से, ठीक ढंग से स्टैन्डर्डाइज करे। एक ड्राफ्ट भी बनाया गया है। वह ड्राफ्ट तीन या चार मंत्रियों की कमेटी के पास निरीक्षण के लिये भेजा जा रहा है। उस कमेटी में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री, गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री और बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनको यह काम सौंपा जा रहा है।

अगर हमने अपना मन्तव्य इसमें साफ़ न कर लिया होता तो मैं स्वागत करती कि श्री शर्मा के प्रस्ताव को जनमत के लिये भेजा जाये। लेकिन जनमत की तो तब आवश्यकता होती है जब हम स्पष्ट न हों कि हमें क्या

करना है। हम ने स्वयं ही तय क लिया है कि कौंसिल बनानी है और उस पर कार्रवाई हो रही है कि वह जल्दी से जल्दी बने। अब श्री जगन्नाथ राव जी इस के लिये समय देंगे या नहीं, यह अलग बात है।

संसद् कार्य तथा संचार मंत्रालय में
राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) जरूर मिलेगा।

डा० सुशीला नायर : लेकिन हमारी तरफ से जरूर यह ख्वाहिश है और कोशिश है कि इस तरह का विधेयक जल्दी से जल्दी आये ऐसी हालत में शर्मा जी के बिल को जनता में भेजना अनावश्यक हो जाता है।

इस लिये इस चर्चा के बाद जो कि बहुत लाभदायक यही है, मैं अपने भाई शर्मा जी से बहुत नम्रतापूर्वक प्रार्थना करती हूँ कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें -

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं आप से नवेदन करना चाहता हूँ कि अगर स्वास्थ्य मंत्री को यह विधेयक स्वीकार नहीं करना था तो कम से कम सक्लेशन की बात तो मंजूर कर लेनी चाहिये थी।

सभापति महोदय : पहले हमें श्री शर्मा की बात को सुनना चाहिये -

श्री म० ला० द्विवेदी : अगर शर्मा डम को विघड़ा कर लें तो क्या होगा।

सभापति महोदय : मैं आप से बाद में बात करूंगा। श्री शर्मा।

Shri A. T. Sarma (Chatrapur): An assurance has been given by the hon. minister that she would bring a Bill on ayurved at an early date. There is no other alternative to accept her proposal. So, I am going to withdraw this Bill. But before doing so, I must say that the Ministry must be sincere in its administration. From the beginning, I have been observing what they are doing; they are doing

many things in the name of ayurved. But I find there is no sincerity in the administration. I earnestly request the hon. Minister and I draw her attention to this; she should be kind enough to see that everything is done with sincerity. Of course we are getting about 3-4 per cent of the allotment for Ayurveda but even that is not properly utilised. That is why I am anxious that the step-motherly treatment should be given up. If whatever we get is properly utilised, ayurved will flourish. In this connection, I may quote what Shri Morarji Desai has said: "If only one-fourth of the expenditure that is made on allopathy by the government is made on ayurved, one-tenth of attention which is given to allopath is given to ayurved by the government, I am sure that all controversies will cease and all will recognise the superiority of ayurved in a very few years." With that hope I request the hon. minister to be sincere and bring the Bill at an early date. So, I ask for leave to withdraw the Bill.

Dr. M. S. Aney (Nagpur): Will you permit us to oppose this motion of withdrawal?

Mr. Chairman: That is not for me to say.

Dr. L. M. Singhvi (Jodhpur): Even if one man opposes the motion for withdrawal, it cannot be done.

Dr. M. S. Aney: I want to oppose the motion for withdrawal and I will take only five minutes—not more than that.

Mr. Chairman: There is no speech allowed at this time. I shall put the motion for withdrawal (*Interruption*).

मैं श्री द्विवेदी से कहना चाहता हूँ कि जिस स्टेज पर हम हैं उस में और किसी मेम्बर को हक नहीं है, सिर्फ जो इस के मोहरिक यानी मूवर हैं, उन को ही हक है कि वह क्या जवाब दें उस का जो माननीय मंत्री ने कहा है। इस लिये इस बारे में अब आप के कुछ कहने का मबाल पैदा नहीं होता।

श्री म० ला० द्विवेदी: मैं एक बात कहना चाहता था कि श्री शर्मा इस को विड़ा करना चाहते हैं लेकिन अब यह विधेयक सदन के सदस्यों के हाथ में है। सदन के सदस्य ही कह सकते हैं कि इस को विड़ा किया जाये या नहीं—अगर आप मुझे इस पर बोलने का मौका न देना चाहें तो न दें, लेकिन मैं इना तो कह सकता हूँ कि इस मंत्रालय की ओर से कोई कदम आयुर्वेद के लिये नहीं उठाया गया।

सभापति महोदय: मेहरबानी कर के आप प्रोमीजर को अच्छी तरह से समझा कीजिये—सवाल यह है कि जब मिनिस्टर साहब ने तकरीर की तो उस के बाद सिर्फ मूवर को ही हक होता है कि वह क्या कहे—बोटिंग का आप को अख्तियार है कि आप करें या न करें—लेकिन मिनिस्टर साहब के बाद अब आप के बोलने का मौका नहीं है—

I am putting the question now to the vote of the House. Has the hon. Member leave of the House to withdraw the Bill?

The Bill was, by leave, withdrawn.

15.48 hrs.

CONSTITUTION AMENDMENT BILL

(*Amendment of Seventh Schedule*)

Dr. L. M. Singhvi (Jodhpur): Mr. Chairman, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Constitution of India be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 14th November, 1966."

As I embark upon a few introductory remarks on this Constitution Amendment Bill, I want to pay a very hearty tribute to the statesmanship and farsightedness of the hon. Education minister who adumbrated the